

राजस्थान सरकार  
राजस्व ग्रूप-6 विभाग

क्रमांक:- प. ६४१८ राज-६/९९/५।

जयपुर, दिनांक:- १-११-२०००

—: अधिसूचना :-

=====

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ में १९५६ का अधिनियम संख्या-१५ की धारा २६० की उप-धारा ४१५ के खण्ड ४३२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार स्तद्वारा अधिनियम की धारा ३७०-ख, जैसे कि राजस्थान विधियाँ और अधिनियम, १९९९ में १९९९ का अधिनियम संख्या-२१५ के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ राज्य की लम्हत नगरपालिका में पदस्थापित सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदारों को उनके ड्रेट्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यवेक्षन Extention एवं भूमि पुनर्गठन करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

श्री गिव कुमार शर्मा  
राजसन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/सूचना सचिव/राजस्व सचिव/सगरीय विकास एवं आवासन सचिव।
२. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
३. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजमन्त्र विरोधांक दिनांक में प्रकाशनार्थ।
४. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
५. निदेशक, जलसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
६. उप निबन्धक, वित्त एवं लेखा५ राजस्व मण्डल, अजमेर।
७. उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर+- को
८. २० अतिरिक्त प्रतियों सहित नगरपालिकाओं में पदस्थापित लम्हत सहायक कलेक्टर/तहसीलदार को भिजवाने हेतु प्रेषित है।
९. रक्षी पत्रावली।

५०११५  
सहायक विधि प्राप्त्यकार